<u>न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–140/2014</u>
<u>CIS NO. TS 191/2019</u>

सरफुद्दीन अंसारी.....वादी

बनाम

फसीहुद्दीन मियाँ एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
03.02.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.08.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि वादी ने पूर्व में प्रस्तुत वाद प्रतिवादियों के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु लाया था। बाद में संशोधन के माध्यम से वादपत्र में एक नया अनुतोष ‘‘स्वत्व वो अधिकार की घोषणा तथा दखल कब्जें की संपुष्टि’’ वादी के द्वारा जोडा गया। परंतु भुलवश नया अनुतोष के आलोक में वादी के द्वारा वाद का मूल्यांकन से संबंधित संशोधन करना छुट गया है। जिसे न्यायहित में संशोधन के माध्यम से वादपत्र में जोडना आवश्यक है। यह कि वादपत्र के पैरा न0–15 में वाद का मूल्यांकन मो0–50000/– रूपया तथा वाद का कुल मूल्यांकन मो0–55000/– रूपया कायम करने हेतु अनुमति देने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 01.11.2023 को दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया कि वादी का संशोधन आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से चलने योग्य नही है बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि वर्तमान में दिये गये मूल्यांकन का क्या आधार है? वादी ने अपने आवेदन पत्र में नही दिया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा दिये गये बयान तहरीरी में वाद का मूल्यांकन मो0–80000/– रूपये होने का ब्यान किया गया है साथ ही संशोधन आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है। इस लेहाजा से भी वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा, अधिकार स्वत्व की घोषणा तथा दखल कब्जें की पूष्टि के लिए	

<u>न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–140/2014</u>
<u>CIS NO. TS 191/2019</u>

सरफुद्दीन अंसारी.....वादी

बनाम

फसीहुद्दीन मियाँ एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.02.2024	लाया गया है। पूर्व में दिनांक 27.02.2019 को वादी का संशोधन आवेदन दिनांक 01.08.2018 न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया था। उक्त आदेशानुसार वादी के द्वारा वादपत्र में एक नया अनुतोष जोडा गया था। भूलवश वादी ने अपने संशोधन आवेदन में वाद मूल्यांकन के संबंध में कथन नही किया था। इस प्रकार वादी का संशोधन अधुरा रहा गया था। जिसे वादी अब जोडना चाहता है। वादी का आवेदन औपचारिक प्रकृति का है तथा इसे स्वीकार करने से वाद के प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। चूँकि वादी के द्वारा संशोधन प्रक्रिया में लापरवाही बरती गयी है फिर भी न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 23.08.2023 मो0–1000/– रूपया हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। सिरिस्तेदार को निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् न्याय शुल्क के संबंध में अपना प्रतिवेदन समर्पित करें तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा में आवेदनानुसार संशोधन करे। वाद दिनांक 13.03.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	